# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, सर्किट न्यायालय, पौडी।

निगरानी संख्या–03/2007–08 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

बालम सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह निवासी ग्राम बड़कोट जिला उत्तरकाशी

बनाम

1. डी0एफ0ओ0 अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट, उत्तरकाशी, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, उत्तरकाशी, 3. नगर पंचायत समिति बड़कोट द्वारा सचिव नगर पंचायत समिति, बड़कोट, उत्तरकाशी,

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ताग : श्री विनोद चमोली।

अधिवक्ता राज्य सरकार/वन विभाग : श्री आर0एस0रावत।

## निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा अपील संख्या–06/03–04 सरकार बनाम बालम सिंह अन्तर्गत धारा–331 उ0प्र0जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 10–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैः–

निगरानीकर्ता/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी उ0प्र0जं0वि0अधि0 बावत भूमि खसरा संख्या–8832 क्षेत्रफल 5 नाली 4 मुठ्ठी, 8833 क्षेत्रफल 8 मुठ्ठी, 8834 क्षेत्रफल 9 नाली 5 मुठ्ठी, 8835 क्षेत्रफल 5 मुठ्ठी, 8836 क्षेत्रफल 9 नाली 2 मुठ्ठी, 8837 क्षेत्रफल 3 नाली, 8838 क्षेत्रफल 6 नाली 4 मुठ्ठी, 8839 क्षेत्रफल 6 नाली 10 मुठ्ठी, 8840 क्षेत्रफल 3 मुठ्ठी, 8841 क्षेत्रफल 4 नाली 12 मुठ्ठी, 8842 क्षेत्रफल 14 मुठ्ठी, 8843 क्षेत्रफल 9 नाली 9 मुठ्ठी, 8844 क्षेत्रफल 3 नाली 5 मुठ्ठी, 8845 क्षेत्रफल 3 नाली 8 मुठ्ठी एवं 1846 क्षेत्रफल 3 नाली 11 मुठ्ठी स्थित मौजा बड़कोट तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी बड़कोट के न्यायालय में दिनांक 04–01–1994 को प्रस्तुत किया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, बडकोट ने विधिवत सुनवाई के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 16–06–1994 से निगरानीकर्ता/वादी के पक्ष में आज्ञप्त/डिक्री किया। आदेश दिनांक 16–06–1994 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 व 2/प्रतिवादी वन विभाग व राज्य सरकार द्वारा ने आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसपर इस आशय की टिप्पणी अंकित की गई कि " विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज प्रस्तुत (शपथपत्र नही है) ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु दिनांक 10–08–1994 निर्धारित" परन्तु टिप्पणी किस तिथि की है तिथि अंकित नही है। तत्पश्चात ग्राह्यता पर सनुवाई हेतु तिथियां निर्धारित होती रही और अन्ततः 5–6 तिथियों पर अपीलार्थी के उपस्थित न होने के फलस्वरूप दिनांक 16–09–2003 को अपील अदम पैरवी में निरस्त की गई। आदेश दिनांक 16–09–2003 के विरूद्ध पुनः अपीलकर्तागण/उत्तरदाता संख्या–1 व 2

की ओर से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–11–2003 को प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 16–12–2003 से सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया तथा तत्पश्चात आदेश दिनांक 05–02–2004 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील पुनर्स्थापित की गई एवं आदेश दिनांक 04–03–2004 व 29–05–2004 से अपील को गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु तिथि नियत की गई। आदेश दिनांक 29–05–2004 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/वादी ने अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, पौड़ी में निगरानी प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, पौड़ी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 17–01–2005 से अवर अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 04–03–2004 एवं 29–05–2004 को निरस्त करते हुए अपील की ग्राह्यता के सम्बन्ध में पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात प्रकरण को विधिसम्मत रूप से निस्तारण के आदेश पारित किये जिसके पश्चात विद्वान आयुक्त ने पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त सारवान न्याय के दृष्टिगत अपील को गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु आदेश दिनांक 10–07–2006 से अपील सुनवाई हेतु ग्रहण करने के आदेश पारित किये। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता के तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17–01–2005 को किये गये प्रतिप्रेषण में दिये गये निर्देश के अनुसार विद्वान आयुक्त द्वारा मर्यादा अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही प्रथम अपील योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर दिया गया है, कि पूर्व निर्णय व आज्ञप्ति एकपक्षीय नही है अतः मर्यादा 1994 से प्रारम्भ होती है, कि विलम्ब को क्षमा करने का स्पष्ट कारण नही दिया गया है जबकि 80 व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर अपने जीवनयापन हेतु निर्भर करते है दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि का कुछ भाग जलमग्न भूमि है एवं आज्ञप्त की गई विवादित भूमि का क्षेत्रफल तक नही प्रदर्शित है, कि आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति एकपक्षीय है क्योंकि वन विभाग जिसके स्वामित्व की भूमि अन्तर्निहित है को पक्षकार नही बनाया गया है । विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की न्यायिक व्यवस्था 2011 (2) यू0ए0डी0 481 डॉ0 प्रदीप कुमार घोष व अन्य बनाम वरूण कुमार बनर्जी को भी उद्धरित किया है ।

निःसंदेह प्रथम अपील के ज्ञाप के साथ धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत किया गया है परन्तु विद्वान आयुक्त ने अपने निर्णयादेश के चौथे प्रस्तर में अपीलीय ज्ञाप के प्रस्तुतीकरण की स्थिति स्पष्ट की है जिसके अनुसार अपील किस तिथि को प्रस्तुत की गई है यह तो स्पष्ट नही है परन्तु उसकी ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु न्यायालय कार्मिक द्वारा दिनांक 10–08–1994 की तिथि नियत की गई है एवं प्रतिलिपि प्राप्त करने की

तिथि 16–07–1994 के दृष्टिगत अपील का प्रस्तुतीकरण समयान्तर्गत माना है। विद्वान आयुक्त के इस विवेचन एवं निष्कर्ष की पुष्टि प्रथम अपील की पत्रावली से भी होती है; यथा, अपीलीय ज्ञाप दिनांक 01–08–1994 के प्रस्तुतीकरण पर ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु दिनांक 10–08–1994 की तिथि निर्धारित की गई है। स्पष्ट है कि ग्राह्यता पर सुनवाई से पूर्व उत्तरदाता पक्ष को नोटिस/सम्मन भेजे जाने हेतु समुचित समय का ध्यान रखा गया होगा जो कि सामान्यता एक माह तक हो सकता है। दिनांक 16–07–1994 को निर्णय/आज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दृष्टिगत 30 दिन के भीतर अपील योजित की जा सकती थी एवं निर्णय की प्रतिलिपि हेतु आवेदन समय के अन्तर्गत कर दिया गया था। यदि यह भी मान ले कि निर्णय व आज्ञप्ति के दिन ही आवेदन किया जाना अपरिहार्य था तो भी प्रतिलिपि 22 दिन के उपरान्त दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 18–07–1994 को ही प्रतिलिपि दी जाती। इस तिथि से मर्यादा प्रारम्भ होना माने जाने पर भी अपील दिनांक 17–08–1994 तक योजित हो सकती थी। तद्नुसार प्रथम अपील कालबाधित नही है। अपील प्रस्तुत होने पर ग्राह्यता पर सुनना न्यायालय का कर्तव्य था। यदि ऐसी सुनवाई समय से नही हुई अथवा संगत पत्रावली गायब रही अथवा लम्बित रही इसके लिए अपीलकर्ता को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? विद्वान आयुक्त ने इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेश का समादर कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानने की स्थिति में भी विलम्ब को क्षमा किया गया है जबकि अपील कालबाधित नही थी। अतः उनका आदेश किसी अवैधानिकता, क्षेत्राधिकार दोष अथवा तार्किक अनियमितता से ग्रसित नही हैं। अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है जिसका प्रयोग न्याय का मार्ग प्रशस्त करने हेतु किया जा सकता है जिसमें पुनरीक्षण हस्तक्षेप निरर्थक है तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय नही है। निगरानी की उक्त स्थिति के दृष्टिगत विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों एवं न्यायिक व्यवस्था पर इस स्तर पर विचार किया जाना आवश्यक नही है।

## आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। प्रथम अपीलीय पत्रावली एवं मूल वाद पत्रावली अविलम्ब गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रेषित की जाय। उभयपक्ष दिनांक 24–11–2016 को प्रथम अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हों।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 14–10–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।